न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 96/10

1. सुन्दर लाल आयु 54 वर्ष
2. कैलाश चन्द आयु 50 वर्ष
3. प्रेमचन्द आयु 44 वर्ष
4. छोटू लाल आयु 39 वर्ष पिसरान श्री गेंदीलाल जाति खाती निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. श्रीमती कैलाशी आयु 46 वर्ष पत्नी श्री सतयनारायण जाति खाती निवासी रोणीजा तहसील हिण्डोली ।
6. श्रीमती मूली बाई आयु 41 वर्ष पत्नी श्री माधो लाल जाति खाती निवासी रायथल तहसील बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मोहन लाल आयु 60 वर्ष ।
2. श्री श्योजी आयु 55 वर्ष
3. श्री बाबूलाल आयु 48 वर्ष पिसरान श्री कंवर लाल जाति खाती निवासी हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सोहन लाल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक गेंदी लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हिण्डोली जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 3235 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 3225 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 3228 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 3229 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 3232 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 3234 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 3236 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 3257 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 3500 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 3776 रकबा 17 बिस्वा कुल 10 किता की 13 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व

रिकॉर्ड में वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि चाह संख्या 3229, 3228 एवं 3237 से सिचिंत होती है तथा चाह नम्बर 3237 में प्रतिवादी कंवरलाल का 1/4 हिस्सा दर्ज है । चाह खसरा नम्बर 3228 रकबा 04 बिस्वा एवं चाह नम्बर 3229 रकबा 04 बिस्वा में प्रतिवादीगण का कोई हक व स्वत्व नहीं है अपितु प्रतिवादीगण अपनी शक्ति एंव ताकत के आधार पर वादी के अधिकार एवं आधिपत्य के उक्त दोनों-कुवों से पानी निकालना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के अधिकार एवं आधिपत्य के चाह खसरा नम्बर 3228 रकबा 04 बिस्वा एवं 3229 रकबा 03 बिस्वा से पानी नहीं निकाले और न ही इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2010 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2010 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट के वारिसान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकीयात कायम की थी परन्तु अपने निर्णय में किसी भी तनकी पर विवेचन नहीं कर सीधे ही निर्णय पारित कर दिया जो सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हैं जिसे रेस्पोडेन्ट भी स्वीकार करते हैं । रेस्पोडेन्ट की मौखिक साक्ष्य पर विश्वास कर निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण के पिता ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जिसमें यह कथन किया था कि अपीलान्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 3228 और 3229 स्थित है । इससे रेस्पोडेन्ट अवैध रूप से पानी निकालना चाहते हैं इसलिए उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकीयात कायम की थी परन्तु तनकीवार विवेचन किये बिना ही सीधे निर्णय पारित कर त्रुटि की है । रेस्पोडेन्टगण ने अपने बयानात में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार अपीलान्ट हैं, रेस्पोडेन्ट इस पर अतिक्रमण कर पानी लेना चाहते हैं । वादी ने अपने वाद को विधिक रूप से सिद्ध कर दिया है फिर भी दावा वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2010 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में डब्ल्यूएलएन (यूसी) 1975 पेज 355 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है और उन्होंने स्वयं अपने बयानात में यह माना गया है कि वादग्रस्त आराजी चाह से रेस्पोडेन्टगण पानी लेते हैं । ऐसी स्थिति में उनका दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मेन्टेनेबल नहीं है । उन्हें धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश करना चाहिए था । रेस्पोडेन्ट की आराजी मुताबिक जमाबन्दी चाह 3228 से सिचिंत होती है, वादी ने स्वयं अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादी इस चाह से अपनी आराजी पर सिंचाई करते हैं । यदि तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है परन्तु मूल विवाद के विषय का विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है तो वह विधि सम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2010 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में 1971 एआईआर 1971 पेज 292, 2013 (3) डीएनजे पेज 1338 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लांयक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 06 तनकीयात कायम की । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 26.08.1987 के अनुसार एक अतिरिक्त तनकी कायम की गई है परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है जबकि सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज किये जाने योग्य है ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2010 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के अन्दर 02 माह विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा